

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर
--00--
//आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30.09.2022

क्रमांक एफ 1-17/2022/38-1:: राज्य शासन, एतद् द्वारा, डॉ. राजेन्द्र सिंह, प्राचार्य (स्नातक) शासकीय कन्या महाविद्यालय, कोरबा को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर शासकीय नवीन महाविद्यालय, सारागांव, जिला जांजगीर-चांपा में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है।


2/ राज्य शासन, एतद् द्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.09.2022 के सरल क्र. 02 में उल्लेखित डॉ. एस.एस. अग्रवाल, प्राचार्य का स्थानांतरण शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, जिला सरगुजा में पदस्थ किया गया था को निरस्त करते हुए, पूर्व पदस्थापना स्थल शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिला सूरजपुर में यथावत पदस्थ किया जाता है।

3/ राज्य शासन, एतद् द्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.09.2022 के सरल क्र. 05 में उल्लेखित श्रीमती आर.आर. राजपूत, (श्रीमती रेखा रानी राजपूत) प्राचार्य का स्थानांतरण शासकीय महाविद्यालय सारागांव, जिला जांजगीर चांपा किया गया था को निरस्त करते हुए, पूर्व पदस्थापना स्थल डॉ. भंवर सिंह पोर्ते, शासकीय महाविद्यालय, पेण्ड्रा जिला-गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही में यथावत पदस्थ किया जाता है।


4/ उपरोक्त सभी स्थानांतरण वर्ष 2022 के लिए जारी स्थानांतरण नीति में निहित प्रावधान के अंतर्गत किये गये हैं। स्थानांतरित कर्मचारी नवीन पदस्थापना स्थल में आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

5/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण होने पर उसके स्थान पर एवजीदार के उपस्थिति के उपरांत ही उसे कार्यमुक्त किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.ए.निर्मलकर)

अवर सचिव

 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग


निरन्तर ---2---

क्रमांक एफ 1-19/2022/38-1

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30.09.2022

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला- रायपुर
 - 2 उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन।
 - 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
 - 4 महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर
 - 5 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, छ.ग. रायपुर।
 - 6 क्षेत्रीय अपर संचालक, संभाग-.....(छ.ग.),
 - 7 संबंधित कलेक्टर, जिला -.....(छ.ग.),
 - 8 संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला-.....(छ.ग.),
 - 9 संबंधित प्राचार्य -.....(छ.ग.),
 - 10 संबंधित -.....(छ.ग.),
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 11 आदेश फोल्डर


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग